<u>न्यायालय सिविल जज जू0डि0, टाण्डा, अम्बेडकरनगर।</u>

मूलवाद सं0 230/08

CNR No. UPAN1200

शरीफ अहमद आदि––– बनाम––इश्तियाक आदि

दिनांक 10.02.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 26ग2 के निस्तारण हेतु पेश है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 26ग2:–</u>

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 26ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी बसिलसिले रोजगार बाहर रहता है। वाद उपरोक्त के दायर होने तथा उसमें प्रेषित सम्मन/नोटिस की कोई भी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं रही है। दिनांक 19.08.2019 को प्रार्थीगण को गॉव में आफवान जानकारी हुई कि वादीगण ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई मुकदमा दायर किया है जो प्रार्थीगण के विरूद्ध डिग्री होने वाला है तो प्रार्थीगण को बड़ा ताजूब हुआ। दूसरे दिन अर्थात 20.08.2019 को प्रार्थीगण न्यायालय परिसर में आकर अपने अधिवक्ता से मिलकर पूरी बात बताकर पत्रावली का मुआयना करवाया तो मुकदमा उपरोक्त के दायर होने तथा उसमें हुई कार्यवाही की जानकारी प्रार्थीगण को हुई। विलम्ब हो जाने के कारण प्रार्थीगण घर वापस चले गये और आज बिना किसी विलम्ब के यह प्रार्थना पत्र वास्ते अपास्त किये जाने एक पक्षीय आदेश विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने मा0 न्यायालय को गुमराह करके दिनांक 25.01.2012 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही संचालित करवा दिया जबकि प्रार्थीगण अनपढ़ गवांर देहाती व्यक्ति है। प्रतिवादी द्वारा अपने रिकाल प्रार्थना पत्र में अभिकथन करते हुए आदेश दिनांक 25.01.2012 को रिकाल करते हुए किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण द्वारा आपत्ति 30ग2 प्रस्तुत कर विस्तृत रूप से कथन कर रिकाल प्रार्थना पत्र 26ग2 दिनांकित 21.08.2019 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2012 को रिकाल कर प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाबदावा दाखिल किये जाने की याचना की है। पत्रावली में आदेश पत्रक के अवलोकन स्पष्ट है कि दिनांक 25.01.2012 को प्रतिवादी के साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है। चॅूकि प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने की याचना की गयी है। विधि का सिद्धान्त है कि पत्रावली का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने हेतु न्यायालय को अग्रसारित होना चाहिए। न्यायहित में प्रार्थना पत्र 26ग2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 26ग2 मु0 500/–रू0 पर स्वीकार किया जाता है, आदेश दिनांकित 25.01.2012 रिकाल किया जाता है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते प्रतिवाद पत्र दिनांक 29.03.2021 को पेश हो।

(प्रीती भूषण)
सिविल जज (जू0डि0), टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0 कोड यूपी1153

Digitally signed by Priti Bhushan
Date: 2021.02.20 14:14:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court